प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या सा-3-1332/दस-90/90

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 16 मई, 1990

विषय : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुमन्य देयों के भुगतान में होने वाले विलम्ब को दूर करना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की है कि सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके सेवा नैवृत्तिक देयों के भुगतान में अप्रत्याशित विलम्ब होता है। इस समस्या के निदान के लिये प्रक्रिया के सरलीकरण, अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं प्रभावी अनुश्रवण की दृष्टि से यह भी निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 1990 को लम्बित प्रकरणों की सूची हर कार्यालय में उपलब्ध रहे ताकि आकस्मिक निरीक्षणों में माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार की सूचना/जानकारी प्राप्त कर सकें ।

2. इस संबंध में मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा-3-1713/दस-89-933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 में जारी आदेशों की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन/राशिकरण की कार्य प्रणाली में किये गये विस्तृत सरलीकरणों एवं प्रतिनिधायनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

3. यह भी अनुरोध है कि पेंशन के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था की जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समय सारिणी के अनुसार हो रहा है। इसके लिये विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे ।

4. माननीय मुख्य मंत्री जी के उक्त निर्देशानुसार दिनांक 1 अप्रैल, 1990

,,,,2

को लम्बित पेंशन संबंधी समस्त प्रकरणों की एक सूची तत्काल तैयार करा ली जाये जो आकस्मिक निरीक्षणों हेतु समय पर उपलब्ध भी रहे। उक्त सूची की एक प्रति निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी सूचना के संकलन एवं अनुश्रवण हेतु तत्काल भेज दी जाये ।

भवदीय,

§ भोला नाथ तिवारी §
सचिव, वित्त ।

संख्या सा-3-1332 § 1§/दस-90 1/10

प्रतिलिपि निदेशक, पेंशन, लेखराज मार्केट, इन्दिरा नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त सूचियों को विभागवार संकलित करा लें और समय-समय पर उन्हें उद्यावधिक भी करते रहें तथा उनके निस्तारण का अनुश्रवण भी सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,

§ भोला नाथ तिवारी §
सचिव, वित्त ।